रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 968] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 13, 2005/भाद्र 22, 1927

No. 968] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005/BHADRA 22, 1927

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2005

का.आ. 1283(अ).—केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से अपर सचिव, श्रम और रोजगार को उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 जुलाई, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 858(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उपर्युक्त अधिसूचना में "धारा कक की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत नियुक्त" शीर्ष के अंतर्गत क्रम संख्या 2 में निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :—

"अपर सचिव, भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली"

[सं. वी-20012/1/03 सा. सु.-II]

जे. पी. पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2005.

S.O. 1283(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5AA of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India, Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment as a member of the Executive Committee constituted under the said Act and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 858(E) dated the 21st July, 2003.

In the said Notification, under the heading "Appointed under clause (b) of Sub-section (2) of Section 5AA" against the Serial No. 2, the following entries shall be substituted namely :—

"Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment, New Delhi"

[No. V-20012/1/03-SS-II]

J. P. PATI, Jt. Secy.

2728 GI/2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.